

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)  
 पीठासीन अधिकारी : श्री महाशय २७२१५ नमस् RAS  
 करण संख्या ८६ / २०१९  
 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १२८ लेण्ड रेवेन्यू एक्ट, १९५६  
 उनयान

मे २०२० जिला ५/० रामरतन चाकड वि० वसुमिठ भाग

वनाम - प्रार्थी / प्रार्थीगण  
 श्री ५० रामरतन चाकड वसुमिठ वि० जोपातपुरा

उपस्थित :- श्री राजेश कुमार  
 श्री कमिनाथ प्रसा

निर्णय दिनांक २-१०-१९  
 प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १२८ राजस्थान मू-राजस्थ  
 अधिनियम, १९५६ के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य  
 इस प्रकार से है :- प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम ६/१०/१५/२५/१६ तहसील  
 शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खन्ना नम्बर ५५५५ २५५० १५६०

कुल किता १ रकबा ०.१५ हैक्टर का  
 प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। बादग्रस्त मूनि के  
 विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के  
 सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी  
 कराई जावे।

प्रकरण पंजीवद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।  
 विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर  
 बहस अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल  
 जमावन्दी ग्राम ६/१०/१५/२५/१६ संवत् २०२५ से २०२२ तक का अवलोकन किया  
 उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी  
 आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र  
 स्वीकार किया जाकर मौजा ६/१०/१५/२५/१६ स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त  
 खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता १ रकबा ०.१५ हैक्टर की  
 पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई  
 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये  
 जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी  
 हेतु कमिश्नर फीस १०० रूपये कायम किये जाते है जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से  
 तहसीलदार शाहपुरा/ मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे।  
 पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो।  
 निर्णय आज दिनांक २-१०-१९ को सरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी एवं  
 सहायक कलेक्टर  
 शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि:-तहसीलदार, शाहपुरा/ पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश  
 पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
 सहायक कलेक्टर  
 शाहपुरा (भीलवाड़ा)